निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :192/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. मन्जु पुत्री गणपत पत्नी विष्णु जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम गुवारडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. गणपत पुत्र मूलचन्द
2. कमलेश पुत्र गणपत
3. मनीषा पुत्री श्री गणपत
4. श्री नारायण पुत्र मूलचन्द
5. जगदीश पुत्र मूलचन्द
6. राजूलाल पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम गीला की नांगल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण।

7. मैसर्स ऑरिक इंफ्रा टेक प्राईवेट लि. जरिये ऑथोराईज सिग्नेचर डायरेक्टर इमरान खान पुत्र गफ्फार खान जाति मुसलमान आफिस बिल्डिंग नम्बर 1, द्वितीय तल, क्वंस हाउस, क्विंस रोड, वैशाली, जयपुर ।
8. उप पंजीयक बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ग्रामीण।
9. सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, जिला जयपुर, ग्रामीण ।
10. श्री ओम प्रकाश मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 156/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 148/2024 ब उनवानी मन्जु देवी बनाम गणपत व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री साकेत पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी 7 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.10.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 156/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 148/2024 ब उनवानी मन्जु देवी बनाम गणपत व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री साकेत पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जवाब पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पैत्रक कब्जे काश्त एवं खातेदारी की है । वादिनीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत छह का संयुक्त परिवार था तथा वर्तमान तक निरन्तर शामिलात में ही काश्त करते चले आ रहे है । वर्तमान में भूमियों की कीमत से आये उछाल से प्रतिवादी संख्या एक ने अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या दो के साथ एवं प्रतिवादी संख्या सात लगायत छह के साथ मिलीभगत कर वादिनीगण को उनके हक व अधिकारों से महरूम करने के लिए भूमि वादग्रस्त में कुछ भूमि को कृषि से अकृषि में सम्परिवर्तन करवा कर उसका बेचान प्रतिवादी संख्या सात के हक में कर दिया जो कि वादिनीगण के हक व अधिकारों के विपरीत होने के कारण मुकाबले वादिगण प्रारम्भतः ही अवैद्य व प्रभाव शून्य दस्तावेज है एवं काननू प्रतिवादी संख्या एक का भूमि वादग्रस्त मे 1/6 दर हिस्सा 1/6 बनता है एवं प्रतिवादी संख्या एक को 1/6 दर हिस्सा 1/4 का ही बेचान करने एवं अपने हिस्से तक की भूमि की किस्म करवाने का अधिकार था, लेकिन प्रतिवादी संख्या एक ने अपने हिस्से से बाहर जाकर जो कृत्य किया है। वह बमुकाबले वादिनीगण अवैद्य एवं शून्य दस्तावेजात है एवं पैत्रिक कृषि भूमि होने से भूमि वादग्रस्त में प्रतिवादी संख्या एक के हिस्से में अभिलिखित खातेदारी भूमियों में वादिनीगण का हिस्सा 3/6 दर हिस्सा 1/4 सहखातेदारी का कानूनन विद्यमान है जिसे वादिनीगण अपने नाम खातेदारी में घोषित करवाने की कानूनन हकदार है। अप्रार्थी संख्या सात व उसके नुमायंदे अक्सर तहसील परिसर कार्यायल में आये दिन घूमते रहते है एवं अकसर उन्हें अप्रार्थी संख्या 10 के कर्मचारियों से बातचीत करते रहते है। प्रार्थी ने कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या सात के नुमायंदों को रीडर से अकेले में चर्चा करते हुये देखा है एवं पीठासीन अधिकारी के चैम्बर के बाहर चक्कर लगाते हुये देखा है एवं प्रार्थी को भय है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 07 के प्रभाव में आकर प्रार्थी के खिलाफ निर्णय पारित कर सकते है एवं अप्रार्थी संख्या 07 कानून की मंशा के विपरीत जा कर अप्रार्थी संख्या 10 से पत्रावली में निर्णय पारित करवा सकते है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 7 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर रखा है जिस वजह से प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहती है । येनकेन प्रकारेण प्रकरण को लम्बित रखना चाहती है। इस कारण से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)